

आवश्यक सूचना

बिहार के 37 जिलों (अरवल जिला एवं पुलिस जिला नवगछिया तथा बगहा को छोड़कर) के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी के स्वयं सेवी गृह रक्षकों के 13,500 (तेरह हजार पाँच सौ) रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इससे संबंधित विज्ञापन सं०- 01/2026 दिनांक-15.06.2026 से बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वेबसाइट- www.onlinebhg.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि निम्नवत है:-

1.	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	दिनांक-15.06.2026
2	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक-14.07.2026

विज्ञापन संख्या-01/2026 के संबंध में विस्तृत सूचना/ विवरणी/ जानकारी एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अनुदेश बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वेबसाइट- www.onlinebhg.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन सं०-01/2026 एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक तथा विस्तृत निर्देश का भली-भाँति अध्ययन कर लेंगे।

V. शारीरिक मापदंड:-

(क) उँचाई:-

सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी (पूर्णिमा एवं कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़कर) के लिए न्यूनतम उँचाई 05 फीट 04 इंच (162.56से.मी.) होनी चाहिए। पूर्णिमा एवं कोसी प्रमंडल के जिलों (पूर्णिमा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला) के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उँचाई 05 फीट 02 इंच (157.5से.मी.) होनी चाहिए।

सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उँचाई 153 से.मी. होनी चाहिए।

(ख) सीना :-

सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी (पूर्णिमा एवं कोसी प्रमंडल के जिलों के पुरुष अभ्यर्थी को छोड़कर) के लिए सीना बिना फुलाये 31 इंच (79 से.मी.) होनी चाहिए। पूर्णिमा एवं कोसी प्रमंडल के जिलों (पूर्णिमा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला) के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए सीना 30 इंच (76से.मी.) होनी चाहिए।

सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की मापी नहीं होगी।

नोट:-थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदण्ड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे।

VI. चरित्र:- अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए।

VII. गृहरक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जायेगा कि अभ्यर्थी कम से कम तीन वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी, बिहार को देने पर सहमत हैं।

05. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

I. गृहरक्षकों के पद पर नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट www.onlinebhg.bihar.gov.in पर दिनांक-27.03.2025 से दिनांक-16.04.2025 के मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित जानकारी (User Manual) वेबसाइट-www.onlinebhg.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

II. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में निम्नवत दर से ऑनलाइन भुगतान करना होगा-

कोटि	आवेदन राशि
गैर आरक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर/पिछड़ा वर्ग (थर्ड जेन्डर सहित) /अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	200/- रुपये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएँ	100/- रुपये

06. गृहरक्षकों का चयन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला गृह रक्षक चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इस चयन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

- | | | |
|-----|----------------------------------|-------------|
| i | जिला पदाधिकारी | -अध्यक्ष |
| ii | पुलिस अधीक्षक | -सदस्य |
| iii | जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी | -सदस्य सचिव |
| iv | जिला कल्याण पदाधिकारी | -सदस्य |

(राज्य सरकार द्वारा मनोनित सदस्य के रूप में)

जिला गृह रक्षक चयन समिति इच्छुक, योग्य एवं स्वस्थ अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अपनी अनुशंसा जिला पदाधिकारी को सौंपेगी। जिला पदाधिकारी उक्त अनुशंसा के आलोक में जिला स्तरीय मेधा सूची प्रकाशित करायेंगे एवं आरक्षण प्रावधानों के आलोक में गृह रक्षकों का चयन करते हुए नामांकन एवं बॉण्ड इत्यादि भरवाने की कार्रवाई पूर्ण करायेंगे। जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा स्वच्छ नामांकित गृहरक्षकों की सूची अग्रतर कार्रवाई एवं बुनियादी प्रशिक्षण हेतु पूर्ण विवरणी मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को भेजी जायेगी।

07. नामांकन की प्रक्रिया:-

(क) अभ्यर्थी जिस जिला के स्थायी निवासी हैं, एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन भर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला से आवेदन पत्र भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन रद्द कर दिये जायेंगे।

(ख) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में स्थाई निवास प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि से संबंधित मैट्रिक/समकक्ष प्रमाण-पत्र, इन्टरमीडिएट(10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, इन्टरमीडिएट(10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण-पत्र, आरक्षण के दावे हेतु जाति प्रमाण-पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण-पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का दावा करने वाले अभ्यर्थी को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। आरक्षित कोटि की विवाहित महिलाओं के संदर्भ में पिता की जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया नियमानुसार एवं आधुनिक तकनीक से की जायेगी।

08. शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा:-

I शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, जो कुल 15 अंकों की होगी।

II शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा क्रमबद्ध होगी, जो निम्नांकित है:-

(क) अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन के उपरान्त सर्वप्रथम दौड़ होगा, निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिये जायेंगे एवं आगे की प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं ले सकेंगे।

(ख) दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के ऊँचाई एवं सीने की माप होगी। जिन अभ्यर्थियों की ऊँचाई एवं सीने की माप निर्धारित मापदण्ड से कम होगी, उन्हें असफल घोषित कर दिया जायेगा एवं वे आगे की प्रतिस्पर्धाओं यथा-ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में भाग नहीं ले सकेंगे।

(ग) ऊँची कूद, लम्बी कूद एवं गोला फेंक सभी प्रतिस्पर्धाओं में अलग-अलग अधिकतम 05 अंक होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक तीनों प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम तीन मौका दिया जायेगा।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरी तिथि को मौका नहीं दिया जायेगा।

09. पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, ऊँची कूद एवं गोला फेंक के मापदण्ड एवं अंको के प्रावधान निम्नवत होंगे:-

<u>पुरुषों के लिए:-</u>		<u>महिलाओं / थर्ड जेन्डर के लिए:-</u>	
दौड़:- एक मील(1600 मीटर) की दौड़ के लिये समय सीमा 06 मिनट के अन्दर पूरी करनी होगी (06 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को अराफल घोषित किया जायेगा)।		दौड़:- 800 मीटर की दौड़ 05 मिनट के अन्दर पूरी करनी होगी (05 मिनट से अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थियों को अराफल घोषित किया जायेगा)।	
ऊँची कूद	अंक	ऊँची कूद	अंक
4 फीट से कम	00 अंक	3 फीट से कम	00 अंक
4 फीट	01 अंक	3 फीट	01 अंक
4 फीट 3 इंच	02 अंक	3 फीट 3 इंच	02 अंक
4 फीट 6 इंच	03 अंक	3 फीट 6 इंच	03 अंक
4 फीट 9 इंच	04 अंक	3 फीट 9 इंच	04 अंक
5 फीट	05 अंक	4 फीट	05 अंक
लंबी कूद	अंक	लंबी कूद	अंक
12 फीट तक	00 अंक	09 फीट तक	00 अंक
12 फीट से अधिक एवं 13 फीट तक	01 अंक	09 फीट से अधिक एवं 10 फीट तक	01 अंक
13 फीट से अधिक एवं 14 फीट तक	02 अंक	10 फीट से अधिक एवं 11 फीट तक	02 अंक
14 फीट से अधिक एवं 15 फीट तक	03 अंक	11 फीट से अधिक एवं 12 फीट तक	03 अंक
15 फीट से अधिक एवं 16 फीट तक	04 अंक	12 फीट से अधिक एवं 13 फीट तक	04 अंक
16 फीट से अधिक	05 अंक	13 फीट से अधिक	05 अंक
गोला फेंक(16 पौंड का गोला)	अंक	गोला फेंक(12 पौंड का गोला)	अंक
16 फीट तक	00 अंक	10 फीट तक	00 अंक
16 फीट से अधिक एवं 17 फीट तक	01 अंक	10 फीट से अधिक एवं 11 फीट तक	01 अंक
17 फीट से अधिक एवं 18 फीट तक	02 अंक	11 फीट से अधिक एवं 12 फीट तक	02 अंक
18 फीट से अधिक एवं 19 फीट तक	03 अंक	12 फीट से अधिक एवं 13 फीट तक	03 अंक
19 फीट से अधिक एवं 20 फीट तक	04 अंक	13 फीट से अधिक एवं 14 फीट तक	04 अंक
20 फीट से अधिक	05 अंक	14 फीट से अधिक	05 अंक

10. चिकित्सकीय परीक्षण:-

शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जायेगा। आँख, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, प्लैट फूट, नॉकिंग नी, हकलाहट सहित अन्य शारीरिक मापदंडों की जाँच की जायेगी। मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी को चिकित्सकीय परीक्षण में मेडिकली फिट घोषित किया जायेगा। इस क्रम में यदि किसी अभ्यर्थी को (मेडिकल बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण पर) कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी द्वारा अपना अपील अभ्यावेदन जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष 24 घंटे/एक कार्य दिवस के अंदर दायर किया जा सकेगा, जिसका निष्पादन जिला पदाधिकारी द्वारा गठित (के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.) की अध्यक्षता में गठित) मेडिकल बोर्ड के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर किया जायेगा। (निष्पादित कर दिया जाएगा)। विलम्ब से दायर अपील अमान्य होगी। (बाद में दिया गया अपील मान्य नहीं होगा)।

11. मेधा सूची-

1. प्रत्येक जिला में गृहरक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की तीनों प्रतिस्पर्धाओं यथा-ऊँची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के कोटि का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक जिले में रिक्ति के विरुद्ध 1.5 गुणा (डेढ़ गुणा) अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी।

मेधा सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रावधानों का पालन किया जायेगा:-

(i) शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

- (ii) समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।
- (iii) शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पंद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हक परीक्षा (इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।
- (iv) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में उनके नाम के देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनका स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

2. यदि स्वच्छ नामांकित गृह रक्षक मेडिकली अनफिट पाये जाते हैं/ किसी कारणवश उनका अभ्यर्थित्व (Candidature) रद्द किया जाता है/उनके द्वारा त्याग-पत्र समर्पित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेधा सूची में निचले क्रमांक पर अवस्थित उक्त कोटि के प्रतीक्षारत् अभ्यर्थी का नियमानुसार नामांकन किया जा सकेगा।

12. अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान:-

नामांकन के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नामांकन के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किए जाने पर राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के आलोक में उन्हें नामांकन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

13. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश:-

- I. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।
- II. रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथासम्भव अभ्यर्थी के नाम से रजिस्टर्ड हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ अभ्यर्थी के ई-मेल आईडी एवं मोबाइल फोन पर साझा की जाएगी। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्टेड (Disconnected) मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
- III. अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। Payment Failure की वजह से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के अन्दर लौटा दी जाएगी।
- IV. अभ्यर्थी उसी जिला के विज्ञापित पद के विरुद्ध अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरेंगे, जिस जिला के वे स्थायी निवासी हैं एवं इस हेतु अपना स्थायी निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे। एक से अधिक जिला से आवेदन भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

V. अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्मतिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ सही-सही भरेंगे। प्रमाण-पत्र से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो सकारण साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

VI. आरक्षित वर्ग के आवेदक अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट—<https://state.bihar.gov.in/gad/CitizenHome.htm> पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन करेंगे।

VII. ऑनलाईन आवेदन-पत्र:-

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र ऑनलाईन ही भरा जायेगा। आवेदन पत्र किसी भी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र भरने हेतु आवेदकों द्वारा निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा:-

(क) आवेदक द्वारा सर्वप्रथम अपनी व्यक्तिगत सूचना प्रविष्ट की जायेगी। इस क्रम में आवेदन पत्र में सभी कॉलम में आवश्यक वांछित सूचना अनिवार्य रूप से प्रविष्टि की जायेगी।

(ख) तदोपरान्त आवेदक द्वारा ऑनलाईन प्रपत्र में उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में अपना फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य सभी वांछित दस्तावेज यथा-स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि से संबंधित मैट्रिक/समकक्ष प्रमाण-पत्र, इन्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र तथा इन्टरमीडिएट(10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा आरक्षण के दावे हेतु प्रमाण-पत्र अपलोड किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त चरणबद्ध कार्रवाई पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन किया जायेगा (विज्ञापन की कंडिका-5(2) द्रष्टव्य)।

(घ) आवेदन शुल्क के सफल भुगतान के पश्चात् स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन सं० (Registration ID) प्रदर्शित होगा, जिसका उपयोग आवेदकों द्वारा भविष्य में किसी भी आवेदन-पत्र से संबंधित पृच्छा अथवा जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जायेगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन सं० आवेदक द्वारा पंजीकृत मोबाइल फोन एवं ई-मेल आईडी0 पर SMS/E-mail द्वारा भेजा जायेगा।

(ङ.) आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के सफलता पूर्वक समर्पित (Submit) करने के पश्चात् उक्त आवेदन-पत्र को प्रिंट/डाउनलोड (Print/Download) कर रक्षित कर लेंगे। उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांग किये जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

(च) आवेदक ऑनलाईन आवेदन-पत्र को आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी गलत भरी गई सूचना को संशोधित कर पायेंगे। आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल सं०, फोटो, E-mail ID एवं आवेदित जिला में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकेंगे।

(छ) किसी भी अन्य कार्य हेतु यथा आवेदन में संशोधन, एडमिट कार्ड डाउनलोड एवं अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु आवेदक अपना Registration ID का उपयोग कर Log-in करेंगे।

(ज) ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन नहीं करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा।